

बलु राम पदम बलु चौशिया + 3

4.4.17

में थाना प्रभारी, चैनपुर

के प्रतिवेदन से सन्तुष्ट हूँ कि दोनों पक्षों के बीच ~~शांति~~ को लेकर झगड़ा के कारण मेरे अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत शांति भंग होने की संभावना है।

अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध दफा 107 द0 प्र0 स0 की प्रक्रिया कायम की जाती है। दोनों पक्षों को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 24.4.17 को मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाये रखने हेतु एक-एक हजार रुपया का बन्धपत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

13/5/17  
31/5/17  
(937)  
4.4.17  
347  
(270)

Babu  
4/4/17

अनुमण्डल पदाधिकारी  
सदर, मेदिनीनगर

24.4.17

जोड़िया ना नाशिला अफाफर।  
दिनांक 13.5.17 को रखें।

13.5.17

दोनों पक्षों के साथी सदस्यों  
को जायिरी को सावर के  
साथ साथे साफर ना साफर  
आरोप से अवगत कराया। इनकार  
दिनांक 31.05.17 को रखें।

31.5.17

प्रकार पर ही जायिरी,  
दिनांक पर ही साथी सदस्यों  
को जायिरी को दोनों पक्षों  
के ठाढ़ा साफर सुलफनाथ  
के साधार पर साड ही  
साधार साफर ही साधार  
ही

13/5/17

31/5/17  
347  
(270)